

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1406
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम

1406. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यक्रम के अंतर्गत देश में, विशेषकर महाराष्ट्र के उस्मानाबाद (धाराशिव) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है; और
- (ग) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आवंटित और उपयोग की गई केन्द्रीय निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इससे कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): ये कार्य महाराष्ट्र राज्य सहित देश भर में कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यक्रम के तहत किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र का उस्मानाबाद (धाराशिव) संसदीय क्षेत्र भारत सरकार के किसी भी चल रहे सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के तहत लाभार्थी जिलों में से नहीं है।

(ख): सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम. कार्यों का उद्देश्य सिंचाई के लिए पानी को खेत तक पहुँचाना है, साथ ही पानी की बर्बादी को कम करने के लिए खेत पर पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना है। 1973-74 से लागू सीएडीडब्ल्यू.एम. कार्यक्रम को 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत लाया गया।

(ग): पिछले पांच वर्षों और इस वित्तीय वर्ष में पीएमकेएसवाई-सीएडीडब्ल्यूएम के अंतर्गत प्रदान की गई केंद्रीय सहायता (सीए) का विवरण निम्नानुसार है।

राज्य	पिछले पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) में जारी केन्द्रीय सहायता (सीए) करोड़ रुपये में	चालू वित्त वर्ष (2024-25) में जनवरी 2025 तक जारी सीए करोड़ रुपये में
असम	4.0	0
छत्तीसगढ़	6.87	0
गोवा	3.84	0
जम्मू एवं कश्मीर	1.87	0
कर्नाटक	18.10	0
केरल	2.69	0
मध्य प्रदेश	77.4615	0
महाराष्ट्र	205.7056	18.34
मणिपुर	9.822	0
ओडिशा	34.47	0
पंजाब	82.08	20.00
राजस्थान	145.6389	0
उत्तर प्रदेश	156.00	0
कुल	748.548	38.34

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और पीएमकेएसवाई-सीएडीडब्ल्यूएम परियोजनाओं के तहत लक्षित लाभार्थियों की अनुमानित संख्या 1,86,19,121 है। हालांकि, इस विभाग में सीएडीडब्ल्यूएम परियोजना के लिए अलग से लाभार्थियों का विवरण नहीं रखा जा रहा है।
